



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

21 मई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की 589वीं बैठक

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आज भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड निदेशकों की 589वीं बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।

बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) में बदलने के साथ, बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की संक्रमण अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की और संक्रमण अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को मंजूरी दी। बोर्ड ने 5.50% पर आकस्मिक जोखिम बफर को बनाए रखने का निर्णय लेते हुए 31 मार्च 2021 (जुलाई 2020-मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹99,122 करोड़ के अंतरण को भी मंजूरी दी।

उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और केन्द्रीय बोर्ड के अन्य निदेशकों जैसे श्री एन. चंद्रशेकरन, श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बैठक में भाग लिया। श्री देबाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग और श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग भी बैठक में उपस्थित रहे।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/252

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक